न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 63/2024 निर्णय दिनांकः 08-01-2025

1. आशा देवी पत्नी स्व किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. मंगतूराम पुत्र स्व किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. कान्ता पुत्री स्व किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. नेमचन्द पुत्र स्व सुरजाराम जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. कन्हैयालाल पुत्र स्व सुरजाराम जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. भंवरी देवी पुत्री स्व सुरजाराम जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
4. राधा देवी पुत्री स्व सुरजाराम जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व सुरजाराम जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
6. शांति देवी पुत्री स्व सुरजाराम जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
7. सावित्री देवी पुत्री स्व सुरजाराम जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
8. सांवरलाल पुत्र स्व सुरजाराम जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
9. हरीशचन्द्र पुत्र स्व सुरजाराम जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
10. कान्ता देवी पत्नी स्व जयनारायण जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
11. पूजा देवी पुत्री स्व जयनारायण जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

12. रवि पुत्र स्व जयनारायण जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
13. राजेश पुत्र स्व जयनारायण जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
14. ललिता पुत्री स्व जयनारायण जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
15. पुष्पा देवी पत्नी स्व किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
16. शांतिलाल पुत्र स्व किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
17. संतोष पुत्री स्व किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
18. अशोक पुत्र स्व किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
19. बरजी देवी (मृतक) पुत्री स्व सुरजाराम जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
20. सुनीता पुत्री स्व बरजी देवी जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
21. राजू देवी पुत्री स्व बरजी देवी जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
22. बेबी पुत्री स्व बरजी देवी जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
23. श्याम पुत्र स्व बरजी देवी जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
24. धर्मेन्द्र पुत्र स्व बरजी देवी जाति माली निवासी ग्राम सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
25. तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 29–07–2024
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री बृजेश मदान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत व श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 29–07–2024 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सुजानदेसर के खसरा नम्बर 245 तादादी 2.400 हेक्टर, खसरा नम्बर 580 तादादी 0.0700 हेक्टर, खसरा नम्बर 581 तादादी 1.4600 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 584 तादादी 5.8500 हेक्टर कुल तादादी 9.7800 हेक्टर भूमि के बाबत् वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 के तहत प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर की घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–12–2023 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। कालान्तर में पत्रावली में अपीलांट् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि एक पुश्तैनी अविभाजित भूमि सुरजाराम के नाम रही है। अपीलांट्स सुरजाराम के विधिक उत्तराधिकारी एवं किशनलाल पुत्र सुरजाराम के वारिसान है। जिनका वादग्रस्त भूमि पर जन्म से ही अधिकार निहित है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ ही अपीलांट्स द्वारा वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है एवं सभी पक्षकार वादगत् भूमि के को–टीनेन्ट है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में साबित है। रेस्पोडेन्ट वादगत् संयुक्त खाते की भूमि को बिना विभाजन करवाये ही कुछ हिस्सा बेचान करने पर आमादा है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26–12–2023 को अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वादगत् भूमि को आगामी आदेश तक विक्रय न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। तत्पश्चात् दिनांक 29–07–2024 को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं बढ़ाये जाने के आदेश पारित किये गये है। प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के मध्य धोषणा का वाद जैरकार है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट उक्त आदेश की आड़ में वादगत् भूमि को आगे बेचान करने पर आमादा है। यदि रेस्पोडेन्ट अपने मकसद में कामयाब हो गये तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा मुकदमें की आवृति बढ़ेगी। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि संयुक्त खाते की भूमि को बिना विभाजन कराये उक्त भूमि के आंशिक भू–भाग का विक्रय नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए पक्षकारों के मध्य अनावश्यक रूप से पेचिदगियॉ उत्पन्न कर दी गई है। जबकि उच्चतर न्यायालयों द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के माध्यम से सुस्थापित किया जा चुका है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण धोषणा के माध्यम से किया जाना हो वहॉ वादपत्र के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखा जाना न्यायोचित है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादगत् भूमि जोकि एक संयुक्त खाते की विरासतन भूमि है जिसके विभाजन का वाद अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है तथा अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वाद में ही तय होने है। ऐसी स्थिति में यदि वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अदालत हाजा द्वारा पूर्व में दोनों पक्षों को वादगत् भूमि के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रसारित किये गये थे, उक्त धारणा के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते एक तरह से रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त भूमि से अपीलांट को बेदखल करने अन्य को बेचान करने के अधिकार प्रदान कर दिये गये है। जो किसी भी स्थिति में विधि सम्मत आदेश नहीं है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा परिवर्तन किया जा रहा है तथा आराजी जैर पर ईंट भट्टे का निमार्ण करते हुए वादग्रस्त भूमि के स्वरूप को परिवर्तित किया जा रहा है ऐसी स्थिति में संबंधित तहसीलदार से मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2016 पार्ट I पेज 393 व डीएनजे 2014 पार्ट III पेज 1017 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि को पैतृक भूमि मानते हुए व वादगत् भूमि पर अपना हिस्सा 1/12 बताते हुए वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादगत् भूमि पर उसका 1/12 हिस्सा निहित है, भूमि शहर के नजदीक होने से अप्रार्थीगण वादगत् भूमि से उसे बेदखल करने पर अमादा है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26—12—2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। जिसे दिनांक 29—07—2024 को दोनो पक्षों की बहस सुने के पश्चात् आगे नहीं बढ़ाया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गया है कि वादग्रस्त भूमि सुरजाराम की खातेदारी भूमि रही है तथा अपीलांट्स जोकि किशनलाल के वारिसान है, का वादग्रस्त भूमि पर बतौर पैतृक भूमि 1/12 हक व हिस्सा निहित रहा है। जिसकी घोषणा के वह अधिकारी है। प्रकरण में अपीलांट्स के उक्त तथ्य को स्वीकार भी कर लिया जावे तब भी वादग्रस्त भूमि के बाबत् वह 1/12 हक व हिस्से तक की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग कर सकते है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पोडेन्ट्स वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा यह विधि का सुविस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार को असीमित समय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त अपीलांट्स के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में है। यदि रेस्पोडेन्ट्स को उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग व उपभोग से अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से रोका जाता है तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को ही होगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुवधिा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विवेचन अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व टीआई नहीं दी जा सकती। वादगत् भूमि के बाबत् प्राईमाफेसी प्रकरण के लिए रिकार्डेड प्रमाण की आवश्यकता है जोकि अपीलांट्स का नहीं है। इसी प्रकार जहॉ तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेन्ट के पक्ष में बनता है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत का उक्त आदेश पूर्णतया विधिसम्मत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी पर बहस करते हुए कथन किया कि आराजी जैर के संबंध में अपीलांट्स द्वारा मौके की स्थिति के बाबत् कोई कथन किया जाता है तो यह अपीलांट्स का दायित्व है कि वह अपने कथन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजात् पेश करें, अपीलांट्स को मौके की स्थिति के संबंध में न्यायालय की तरफ नहीं देखना चाहिए। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त किया जाना स्पष्ट रूप से अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित किया जाना जाहिर होता है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी खारिज किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र अन्तर्गतआदेश 39 नियम 7 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। दूसरी तरफ रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आराजी जैर के खातेदार काश्तकार होना अंकित किया गया है। वर्तमान में न्यायालय के समक्ष धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्व अपील जैरकार है तथा उक्त अपील के माध्यम से आराजी जैर पर पक्षकारों का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण करते हुए अंतिम रूप से निस्तारण किया जाना है। प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के मध्य मूल रूप से विवाद आराजी जैर के अधिकारों को लेकर है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य उक्त विवाद के विनिश्चयन/निर्धारण हेतु संबंधित तहसीलदार से मौके की वास्तविक रिपोर्ट न्यायालय स्तर से प्राप्त करते हुए साक्ष्य सग्रंहण का कार्य किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। वैसे भी किसी भी पक्षकार को अपने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कथन को साबित करने स्वयं पर ही होता है तथा ऐसे साक्ष्यों को साबित करने हेतु साक्ष्य संग्रहण हेतु पक्षकार को न्यायालय से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि वादगस्त् भूमि एक पैतृक सम्पति है जिस पर अपीलांट्स का बाई बर्थ हक व हिस्सा निहित है। जबकि रस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलांट्स के वादग्रस्त भूमि पर अधिकारों का निर्धारण होना शेष है, जबकि रेस्पोडेन्ट्स वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती।

इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने 1/12 हक व हिस्से के आधार पर वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के अधिकारों की निर्धारण गुणावगुण पर होना है, जबकि रेस्पोडेन्ट्स वादग्रस्त भूमि के वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् सम्पूर्ण खाते पर स्थगन प्रदान किया जाना उचित नहीं माना गया है। इस संबंध में हमारा भी अभिमत है कि चूंकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के अधिकारों का निर्धारण होना शेष है तथा रेस्पोडेन्ट्स वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्षकार के हितार्थ अन्य पक्षकारों को असीमिति समय पाबन्द नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त अपीलांट्स के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में है। यदि रेस्पोडेन्ट्स को उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग व उपभोग को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट्स को कारित होगी। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट का वादगत अराजी में मात्र 1/12 हिस्सा बनता है। रेस्पोडेन्ट अपीलांट को उसकी इच्छानुसार अपीलाधीन अराजी में 1/12 हिस्सा देने को तैयार है, परन्तु अपीलांट इस पर सहमत ना होकर येनकेन प्रकेरण न्यायिक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रक्रिया की आड में स्थगन आदेश को लंबित रखना चाहते है ताकि शेष खातेदारान अपील भूमि का उपयोग एवं उपभोग के अधिकारो से वंचित हो जाये। अभिवक्ता रेरस्पोडेन्ट के इस कथन से रेस्पोडेन्ट का न्यायालय के समक्ष क्लीन हेण्ड से आना प्रकट होता है। अपीलांट्स का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है ना ही कोई अपूरणीय क्षति की संभावना है। परीक्षण न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलांट्स की अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक कलेक्टर, बीकानेर का आदेश दिनांक 29–07–2024 यथावत बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 08-01-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर